<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०</u>
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 06.04.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 81/2026
सीआईएस नं. 1478/2016
CNR No. RJBR020015482016
एफआईआर सं. 840/2016 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
PART– I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	अखलाक पुत्र अब्दुल कदीर निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्रीमति ऋतु कुमारी

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		02.11.2016
एफआईआर की दिनांक		02.11.2016
आरोप पत्र की दिनांक		17.11.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		28.11.2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		21.09.2023
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		06.04.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		06.04.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	06.04.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	अखलाक	02.11.16	15.11.16	4/25 आर्म्स एक्ट	दोषसिद्ध	दंडादेश निर्णय के पैरा 20 के अनुसार	02.11.16 से 15.11.16 तथा 03.12.25 से लगातार न्यायिक अभिरक्षारत

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	चौथमल	ताईद फर्द चैकिंग, जप्ती, गिरफ्तारी व नक्शा मौका
PW2	हरिप्रकाश	ताईद चश्मदीद वाका, फर्द चैकिंग, जप्ती, गिरफ्तारी व नक्शा मौका
PW3	सत्यपाल पारीक	हालात तफ्तीश
PW4	घनश्याम योगी	ताईद माल जमा मालखाना करना

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 21.09.23 PW1, PW2	फर्द जप्ती
2	Ex P2 21.09.23 PW1, PW2	फर्द गिरफ्तारी
3	Ex P3 21.09.23 PW1	रिपोर्ट
4	Ex P4 21.09.23 PW1	चाक एफआईआर
5	Ex P5 21.09.23 PW1, PW2	नक्शा मौका
6	Ex P6 06.04.26 PW4	धारदार तलवार जमा

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	–		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.11.2016 को चौथमल एएसआई मय हमराही जामा श्री हरिप्रकाश कानि० 1027, श्री नरेश कानि० 44 के वास्ते गस्त व चैकिंग अवैध कार्य जुआ, सट्टा शराब व अवैध हथियार हेतु मय अनुसंधान बॉक्स बावर्दी थाना कोतवाली बारां से समय 4.30 पी.एम. पर रवाना होकर गस्त व चैकिंग अवैध कार्य की कस्बा बारां, प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा, गाडी अड्डा, कोयला खिडकी करता हुआ डोल मेला ग्राउण्ड बारां प्यारेराम जी के मन्दिर के सामने पहुंचे जहां पर मुझ एएसआई को जर्ये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर डोल मेला ग्राउण्ड पानी की टंकी की तरफ घुम रहा है। उक्त सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराया। मन एएसआई मय जाप्ता हमराही के रवाना होकर सांकेतिक स्थान के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति दाहिने हाथ में तेज धारदार नंगी तलवार लेकर घूमता हुआ नजर आया जो पुलिस को बावर्दी देखकर जाने लगा जिसे मन एएसआई ने जाप्ता हमराही की मदद से घेरा देकर रोका जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम अखलाक होना बताया जिसकी तलाशी हेतू स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु श्री हरिप्रकाश कानि० 1027 को भेजा जिसने 5–7 मिनट बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचिदगीयों की वजह से कोई वतन्त्र गवाह नहीं मिले। ऐसी स्थिति में मन एएसआई ने हमराही जाप्ता श्री हरिप्रकाश कानि० 1027, श्री नरेश कानि० 44 को गवाह मामूर कर डिटेन शुदा व्यक्ति अखलाक को समय 5 पी.एम. पर चैक किया तो दाहिने हाथ में एक तेज धारदार नंगी तलवार लोहा मिली। जिसका नाप किया तो धारदार फल की लम्बाई 26 इंच व मूठ की लम्बाई 6 इंच तथा कुल लम्बाई 32 इंच हुई। डिटेन शुदा अखलाक से अपने कब्जे में धारदार नंगी तलवार रखने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा गया तो कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त व्यक्ति अखलाक द्वारा अपने कब्जे में बिना अनुज्ञापत्र राज्य सरकार की विज्ञति के तहत 10.16 सेमी से अधिक धारदार हथियार अपने कब्जे में रखना लाना से जाना जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से धारदार तलवार को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सिल्ड मोहर कर कब्जे पुलिस लिया गया। मुल० अखलाक को बाद आग आगाह जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में फर्द गिरफ्तारी के पृथक से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द पर स्वयं की नमूना सील अंकित की गई। संपूर्ण कार्यवाही मौके पर पूर्ण करने के उपरांत मन् एएसआई मय जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम अखलाक मय जप्त शुदा माल एक तलवार के रवाना होकर वापस थाना आया.....इत्यादि।

3. उक्त फर्द जप्ती व चैकिंग के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 841/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द जप्ती साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, नक्शा मौका गवाहों के बयानों से प्रमाणित नहीं है, मुल्जिम को झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.11.2016 को समय 05.00 पीएम के लगभग बमुकाम डोल मेला ग्राउण्ड टंकी के पास, बारां में पुलिस ने दौराने गश्त एवं चैकिंग आपके भौतिक संज्ञान कब्जे से एक तेज धारदार लोहे की नंगी तलवार, जिसके फल की लंबाई 26 इंच व मूठ की लंबाई 06 इंच थी जो राज्य सरकार की विज्ञप्ति 10.16 सेमी से अधिक थी, बरामद हुई। जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत् आपके पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 चौथमल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 02.11.2016 को थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह मय जाब्ता हरिप्रकाश कांस्टेबल नरेश कांस्टेबल के साथ गश्त एवं चैकिंग अवैध

कार्य जुआ–सट्टा बदमाशान हेतु थाने से समय 4.30 पीएम पर वह अनुसंधान सामग्री के साथ रवाना होकर गश्त प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा कोयला खिड़की करते हुये प्यारेरामजी मंदिर के सामने पहुंचें। जहां जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति पानी की टंकी के पास मेला मैदान में धारदार नंगी तलवार लेकर घुम रहा है। उक्त सूचना से उसके द्वारा जाब्ता को अवगत कराकर सांकेतिक स्थान पहुंचा तो एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिये नजर आया जो बाबरदी पुलिस को देखकर जाने लगा। जिसे जाब्ते की मदद से घेरा देकर डिटेन किया तथा उसका नाम पुछा तो उसने अपना नाम अखलाफ पुत्र कद्दीर मुसलमान होना बताया। उसकी तलाशी बाबत् स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु हरिप्रकाश को भेजा, जिसने कुछ समय पश्चात आकर बताया कि कानुनी पेचिदीयों की वजह से कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिले। जाब्ते में से हि हरिप्रकाश व नरेश को ही गवाह मानकर डिटेनसुदा व्यक्ति अखलाफ को चैक किया तो उसके दायिनें हाथ में एक लोहे की धारदार तलवार मिली। उक्त तलवार अपने बाबत् अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही तलवार का नाप किया तो धारदार फल की लंबाई 26 इंच व मुठ की की लंबाई 6 इंच कुल लंबाई 32 इंच होना पाया। मौके पर ही तलवार को जब्त किया मुल्जिम को गिरफ्तार किया था। फर्द जब्ती तलवार प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील लगी है। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर वह माल मुल्जिम सहित थाने आये। थाना आकर उसके द्वारा माल जमा मालखाना करवाया। मुल्जिम को बंद हवालत करवाया तथा मुल्जिम के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 है, जो उसकी निशादेही से सतपाल पारीक एएसआई द्वारा बनाया गया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुखबिर की सूचना लेखबद्ध नहीं की। वह मुल्जिम को पहले से नहीं जानता था। मुखबिर का मुल्जिम का हुलिया नहीं बताया था। यह सही है कि जब्त तलवार आज उसके सामने न्यायालय में नहीं है। यह कहना सही है कि फर्द जब्ती पी 01 उसकी कलमी है जब्तसुदा हथियार की नाप उसके द्वारा की गई थी। जब्तसुदा हथियार पर जंग लगा हुआ नहीं था। स्वयं कहा कि बिल्कुल नई थी। यह कहना सही है कि मेलों में तलवार बिकती है लेकिन उन पर धार नहीं होती। तलवार की आगे की नोक टूटी हुई थी तथा हत्था गोल था जिस

पर पीतल की मूठ थी। तलवार पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। यह कहना सही है कि सभी फर्दों पर गवाहन पुलिसकर्मी है। यह कहना सही है कि मुखबिर ने सूचना में यह नहीं बताया कि उक्त व्यक्ति कौनसे हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था। जब वे मौके पर पहुँचे तो मुल्जिम के अलावा वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। सूचना उसे पौने पाँच बजे प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद पाँच मिनट में ही वह मौके पर पहुंच गया। जब वे वहाँ पहुंचे तब मुल्जिम किसी के साथ गाली–गलौच नहीं कर रहा था। जामा तलाशी में मुल्जिम के पास पहने हुए कपडों के अलावा अन्य कोई चीज नहीं मिली। वह स्वतंत्र गवाह की तलाश में नहीं गया था। कानि० को भेजा था। यह कहना गलत है कि मुल्जिम से कोई हथियार से बरामद नहीं किया हो और सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर करवायी हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 हरिप्रकाश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 02.11.2016 को थाना कोतवाली बारां में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन चौथमल एएसआई के साथ वह व नरेश कानि. वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य जुआ सट्टा शराब हेतु थाने से 04.30 पीएम पर मय अनुसंधान सामग्री के रवाना होकर गश्त प्रताप चौक, अजुमंन चौराहा होते हुए मेला ग्राउण्ड प्यारेराम जी मंदिर के सामने पहुंच जहां एएसआई साहब को जर्ये मुखबिर सूचना मिली के मेला ग्राउण्ड में एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर पानी को टंकी डोल मेला ग्राउण्ड की तरफ घूम रहा है। सांकेतिक स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूमता हुआ नजर आया। पुलिस को रोककर जाने लगा तो उसे जाप्ते की मदद से डिटैन किया नाम पूछा तो उसने अपना नाम अखलाक होना बताया। तलाशी लेना आवश्यक होने से उसे स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु भेजा आस–पास गवाह तलाश किए तो कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचिदगियों व अभियुक्त के डर से गवाह बनने को तैयार नहीं हुए। फिर जाप्ते में से उसे व नरेश को गवाह मामूर कर डिटेनशुदा व्यक्ति अखलाक की तलाशी ली तो उसने दाहिने हाथ में धारदार लोहे की तलवार मिली। मौकेपर ही तलवार का नाप किया तो धारदार फल की लंबाई 26 इंच व मूठ की लंबाई 06 इंच कुल लंबाई 32 इंच निकली। तलवार अपने पास रखने बाबत् अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर तलवार को जप्त कर सील मोहर कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया। मुल्जिम को गिरफ्तार किया। फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी 01 है, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम प्रदर्श पी 02 है, जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मोके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुल्जिम के थाने आए। घ ाटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 है जो सत्यपाल एएसआई द्वारा बनाया गया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह मुल्जिम को पहले से जानता था। यह कहना सही है कि घ ाटनास्थल आबादी क्षेत्र है। मुखबिर ने सूचना में मुल्जिम का हुलिया, उम्र नहीं बताया था। जब वे मौके पर पहुंचे तो मुल्जिम के हाथ में तलवार थी। चारों तरफ आदमी थे कितने आदमी थे आज नहीं बता सकता। यह मुल्जिम गाली निकाल रहा था लेकिन किसमें निकाल रहा था उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि मुल्जिम द्वारा मौके पर गालियां निकालने वाली बात उसके पुलिस बयान व फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 में अंकित नहीं है। उसे मौखिक आदेश में स्वतंत्र गवाह लेने हेतु भेजा था। उसने मौके पर 5–7 व्यक्तियों से गवाह बनने को कहा था लेकिन कानूनी पेचिदगीयों के कारण किसी ने अपना नाम पता नहीं बताया। तलवार पर जंग लगा हुआ नहीं था, तलवार पुरानी भी नहीं थी व नई भी नहीं थी। यह कहना सही है कि जप्तशुदा तलवार आज उसके समक्ष न्यायालय में नहीं है। तलवार को कपडे की थैली में सील्डमोहर किया था। सील कौनसी लगाई थी आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 व 05 पर पुलिसकर्मी के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि उस वक्त अभियान चल रहा हो और अभियान के तहत उक्त मुल्जिम को उक्त झूठे मुकदमे में फंसाया हो।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 सत्यपाल पारीक ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.11.2016 को वह पुलिस थाना कोतवाली बारां पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 840/2016 की पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फरियादी चौथमल एएसआई की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा फरियादी चौथमल, हरिप्रकाश, नरेश कुमार के बयान उनके कथनानुसार टाईपशुदा लेखबद्ध किये थे। दौराने अनुसंधान अभियुक्त अखलाक द्वारा अपने कब्जे में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10.16 सेमी से अधिक धारदार हथियार कब्जे मे रखने पर 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया जाने पर अनुसंधान पत्रावली वास्ते चालान एसएचओ साहब को सुपुर्द की।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि जिन गवाहों के बयान लिए वह सारे पुलिसकर्मी है। यह सही है कि उसने हथियार नहीं देखा। शील्डशुदा था इसी आधार पर व फर्द जप्ती के आधार पर धारदार माना है।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 घनश्याम योगी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.11.2016 को वह पुलिस थाना कोतवाली में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 840/2016 में उसके द्वारा जप्तशुदा धारदार तलवार जमा कराई थी जो फर्द प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसका नाम अंकित है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोई जिरह नहीं की गई।

16. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् एक फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी 01 परिवादी चौथमल एएसआई के द्वारा इस आशय की मुर्तिब की गई है कि दिनांक 02.11.2016 को मय जाप्ता हरिप्रकाश, नरेश कांस्टेबल के चैकिंग, गश्त के दौरान मुखबीर इत्तला के आधार पर मुल्जिम के कब्जे से एक तलवार नंगी धारदार बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करने व मुल्जिम को गिरफ्तार कर सारी कार्यवाही करते हुए जमा मालखाना व बंद हवालात करने के बाबत् पेश की है, जिस संबंध में जप्तीकर्ता चौथमल पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए उक्त गवाह ने अपने बयानों में दिनांक 02.11.2016 को मय जाप्ता हरिप्रकाश व नरेश कांस्टेबल के गश्त के दौरान मुखबीर इत्तला के आधार पर मुल्जिम के कब्जे से प्रदर्श पी 01 के माध्यम से उक्त तलवार को बिना अनुज्ञापत्र के जप्त करने व मुल्जिम को प्रदर्श पी 02 के माध्यम से गिरफ्तार कर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह ने जिरह में उक्त तलवार मुल्जिम के कब्जे से ही बरामद करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार फर्द जप्ती का अन्य गवाह हरिप्रकाश पी.डब्ल्यू–02 के द्वारा भी अपने बयानों में मुल्जिम के कब्जे से प्रदर्श पी 01 के माध्यम से तलवार बरामद करने व मुल्जिम को प्रदर्श पी 02 के माध्यम से गिरफ्तार कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाह चौथमल व हरिप्रकाश के द्वारा अपने–अपने बयानों में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 व अन्य फर्दात की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है। उक्त दोनों गवाहों के बयानों का खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू–03 सत्यपाल पारीक के द्वारा गवाहान के बयान लेते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 मुर्तिब कर मुल्जिम के विरूद्ध अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू 04 घनश्याम योगी के द्वारा प्रकरण में

जब्तशुदा माल प्रदर्श–पी 06 के माध्यम से जमा मालखाना किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रदर्श पी 01 के माध्यम से उक्त तलवार चौथमल एएसआई के द्वारा गवाह हरिप्रकाश के सामने मुल्जिम के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र के प्रदर्श पी 01 के माध्यम से बरामद किया जाना साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा उक्त जप्तशुदा माल के संबंध में किसी प्रकार का खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा उक्त माल मुल्जिम के कब्जे से प्रदर्श पी 01 के माध्यम से जप्त न किया गया हो इस बाबत् कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के आधार पर मुल्जिम के कब्जे से उक्त माल प्रदर्श पी 01 के माध्यम से बरामद किया जाना व अन्य फर्दात की ताईद साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रथम दृष्टया प्रकट होती है, इसलिए अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

17. परिणामतः अभियुक्त **अखलाक** पुत्र अब्दुल कदीर निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–</u>

18. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उसके विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिसमें उसे तत्काल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन हो। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए भुगती हुई सजा में छोडे जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

19. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रकरण में दिनांक 02.11.2016 से

दिनांक 15.11.2016 तक तथा दिनांक 03.12.2025 से आज दिनांक तक लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए करीब 137 दिन रहना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में मुलजिम को आरोपित अपराध में परीविक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर भुगती हुई सजा में छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>दण्डादेश</u> ::

20. अतः अभियुक्त **अखलाक** पुत्र अब्दुल कदीर निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में भुगती हुई सजा पर रिहा किया जाता है तथा जेल अधीक्षक बारां को इस आशय की तहरीर जारी हो कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मुकदमे में वांछनीय न हो तो उसको इस प्रकरण में भुगती हुई सजा के आधार पर रिहा किया जावे। इस आशय की रिहाई तहरीर जारी हो।

21. प्रकरण में जप्तशुदा तलवार को बाद गुजरने मियाद अपील जमा शस्त्रागार बारां कराया जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

22. निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)